



MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य पात्रता परीक्षा—2024 हेतु विज्ञापन

संक्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
2	परीक्षा शुल्क	2
3	महत्वपूर्ण बिंदु	3
4	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	4
5	पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश	4
6	आरक्षण के संबंध में निर्देश	5
7	परीक्षा परिणाम की घोषणा	5-6
8	उन शहरों की सूची जहाँ परीक्षा आयोजित की जानी है	7
9	शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश	7
10	परीक्षा योजना	7-8
11	अंकन योजना	8
12	परीक्षा पत्र का माध्यम	9
13	सावधानियाँ	9
14	कानूनी क्षेत्राधिकार	9
15	आवेदन पत्र कैसे भरें	10
16	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सूची की जाँच करें	11
17	ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश	11-12
18	राज्य पात्रता परीक्षा—2024 के 20 विषय एवं उनके स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषयों / सह—विषयों की सूची	12-14
19	मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची	14
20	परीक्षा के संबंध में निर्देश एवं जानकारियाँ	15
21	परीक्षा केंद्र में प्रवेश से सम्बंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु	15-16
22	दिव्यांगजन के सह—लेखक हेतु मान्य परिचय पत्र की सूची	16
23	दिव्यांगजन सह—लेखकों का घोषणा—पत्र	16
24	परीक्षा के पूर्व व पश्चात्वर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश	16-17
25	अनुचित साधन व्यवहार और परीक्षा नियमों का उल्लंघन	17
26	प्रश्न—पत्र के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रण	17-18
27	विशेष	18
28	हेल्पलाइन	18
29	राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम	19

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
(नोडल एजेन्सी)
रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)
राज्य पात्रता परीक्षा State Eligibility Test (SET)- 2024 हेतु विज्ञापन

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ

विज्ञापन क्रमांक 01 / सेट / परीक्षा / 2024	15 / 03 / 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि	21 / 03 / 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	20 / 04 / 2024 दोपहर 12:00 बजे तक
त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलम्ब शुल्क के	27 / 03 / 2024 से 22 / 04 / 2024 दोपहर 12:00 बजे तक
विलम्ब शुल्क के साथ I ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि	21 / 04 / 2024 से 30 / 04 / 2024 दोपहर 12:00 बजे तक
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क के साथ I के अभ्यर्थियों हेतु	22 / 04 / 2024 से 02 / 05 / 2024 दोपहर 12:00 बजे तक
विलम्ब शुल्क के साथ II ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि	01 / 05 / 2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12:00 बजे तक
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क II के अभ्यर्थियों हेतु	02 / 05 / 2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12:00 बजे तक
परीक्षा तिथि	पृथक से घोषित की जाएगी।

2. परीक्षा शुल्क

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछळा वर्ग, EWS एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क	रु. 250/- (40/- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
2. अन्य श्रेणियाँ व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु	रु. 500/- (40/- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
3. त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलम्ब शुल्क	रु. 50/- प्रति सत्र

विलम्ब शुल्क के साथ — प्रथम चरण


विलम्ब शुल्क I के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	रु. 3,000/- (40/- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क	रु. 50/- प्रति सत्र

विलम्ब शुल्क के साथ - द्वितीय चरण

विलम्ब शुल्क II के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	रु. 25,000/- (40/- रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क	रु. 50/- प्रति सत्र

3. महत्वपूर्ण बिंदु

1. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024, ओ.एम.आर. आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगी।
2. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024, अग्रांकित 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी।
3. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024, में 02 (दो) प्रश्न—पत्र होंगे।
प्रथम प्रश्नपत्र (अनिवार्य) सामान्य प्रश्नपत्र —शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) द्वितीय प्रश्न पत्र (ऐच्छिक) चयनित विषय का होगा।
4. प्रश्न—पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतया वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type Question) का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न :— सुमेलित टाइप, सत्य/असत्य, कथन कारण प्रकार के (Multiple Choice Question- Matching True/False, Assertion Reasoning Type) होंगे।
5. विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है।
6. विज्ञापन की समस्त शर्तें एवं नियम समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं।
7. राज्य पात्रता परीक्षा — 2024 की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है।
8. राज्य पात्रता परीक्षा — 2024 में परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् किसी प्रकार की अनुपूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है।
9. एक बार सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा (Submit) हो जाने के बाद यह वापस नहीं लिया जा सकेगा।
10. राज्य पात्रता परीक्षा — 2024 परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ को परीक्षा परिणाम को संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. राज्य पात्रता परीक्षा — 2024 में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन—पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है तो उसको पात्रता प्रमाण—पत्र (Electronic Certificate) नहीं दिया जाएगा।
12. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 हेतु यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को नहीं होगी।
13. आयोग की परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुँचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आए और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलम्ब, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्डौर, म.प्र को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।



4. न्यूनतमं शैक्षणिक योग्यता

1. अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा।
2. अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।
3. EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को यू.जी.सी. के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं।
5. उक्त अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण—पत्र तभी मान्य होगा, जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करते हैं।
6. ऐसे पी.ए.च.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर, 1991 तक पूर्ण हो चुकी है उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) देय होगी।
7. ऐसे अभ्यर्थियों भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र प्राप्त हो, किन्तु उन्हें एसोशिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से यह प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा कि उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है।

5. पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश

पाठ्यक्रम संबंधी समस्त निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. आरक्षण के संबंध में निर्देश

यूजीसी. के निर्देशानुसार आरक्षण म.प्र. शासन द्वारा मान्य (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों तथा आर्थिक रूप से कमजोर म.प्र. शासन के आदेशानुसार होगी।

1. समस्त आरक्षण मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला वर्ग, EWS व दिव्यांगजन आवेदकों को देय छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉनक्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। म.प्र. के ऐसे पिछड़ा वर्ग के निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
3. मध्यप्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला आवेदक तथा दिव्यांगजन उम्मीदवार अपना वर्ग ऑनलाइन आवेदन—पत्र में अनारक्षित लिखें।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्त वर्ष हेतु मान्य होना चाहिए।
5. मध्यप्रदेश के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को केवल जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक के स्थायी दिव्यांगता प्रमाण—पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा।
6. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि दिव्यांगजन मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 597, भोपाल दिनांक 21 नवम्बर, 2022 में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के राजपत्र के अनुसार आरक्षण के लाभार्थी रहेंगे।
7. EWS व अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदकों को शुल्क, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में कोई छूट देय नहीं होगी। केवल महिला आवेदकों को चयन हेतु दिया जाने वाला होरिजेन्टल आरक्षण देय होगा।

7. परीक्षा परिणाम की घोषणा

राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 के परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम के अनुसार (म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) के अनुसार घोषित किया जाएगा इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87 प्रतिशत का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, शेष 13 प्रतिशत स्लॉट का माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात् घोषित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार परीक्षा में समिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी।

1. प्रथम चरण में, सर्वप्रथम परीक्षा में समिलित हुए अभ्यार्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी।

2. द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर परीक्षा में सम्मिलित अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा। महिला प्रवर्ग में होरिजोन्टली 35 प्रतिशत एवं दिव्यांगजन के प्रवर्ग में होरिजोन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा।
3. इस प्रकार निम्नानुसार न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्ह (स्लॉट) ज्ञात की जाएगी –

क्र	श्रेणी	दोनों प्रश्न-पत्रों में अर्जित प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत
1	अनारक्षित श्रेणी	40%
2	आरक्षित श्रेणी अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन	35%

4. विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्नांकित सूत्र द्वारा किया जाएगा – विषय के उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है **X** उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता संख्या (स्लॉट)

उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या

- (A) यदि अर्हता संख्या (स्लॉट) निर्धारण में प्रतिशत दशमलव में प्राप्त होता है तो –
- (अ) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से कम तथा दशमलव में हो तो उसे एक माना जाएगा।
 - (ब) यदि अर्हता प्रतिशत 1 से अधिक हो तो उसे समीपस्थ पूर्णांक प्रतिशत में समायोजित किया जाएगा।
- (B) विषयवार श्रेणियों एवं वर्गों में स्लॉट विभाजन की गणना के प्रतिशत में परिणाम दशमलव में प्राप्त होने पर 0.5 के पूर्व दशमलव अंकों को पूर्ववर्ती पूर्णांक में तथा 0.5 एवं उससे अधिक होने पर अपने पश्चातवर्ती पूर्णांक में समायोजित किया जाएगा।
5. UGC NET की प्रक्रिया अनुसार आयोग राज्य पात्रता परीक्षा– 2024 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के समय दी गई जानकारी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
6. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिनांक तक अर्ह शैक्षणिक योग्यता नहीं अर्जित की है एवं राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें Provisional Electronic Certificate जारी किया जाएगा।

8. उन शहरों की सूची तथा कोड जहाँ परीक्षा आयोजित की जानी है

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
1	इन्दौर	4	जबलपुर	7	सागर	10	शहडोल
2	भोपाल	5	रीवा	8	उज्जैन	11	खरगोन
3	गwalियर	6	सतना	9	नर्मदापुरम	12	रतलाम

किसी विषय में संभागीय परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम है तथा जिला स्तर पर परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है तो ऐसी स्थिति में इस विषय की परीक्षा अन्य शहर के केन्द्र पर कराई जाएगी।

9. शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश

- आवेदक परीक्षा शहर सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा शहर किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों/केन्द्रों की संख्या आयोग द्वारा कम या अधिक की जा सकती है।
- अभ्यर्थी उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम चार शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाए।
- आयोग के द्वारा आवंटित केन्द्र/शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- असुविधा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र का एक दिन पूर्व अवलोकन करना चाहिए।

10. परीक्षा योजना

- राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 ऑफलाइन पद्धति से होगी।
- इस परीक्षा में दो प्रश्न—पत्र होंगे।
- दोनों ही प्रश्न—पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतया वस्तुनिष्ठ (Objective type) पद्धति के होंगे।
- यह बहुविकल्पीय होगा जिसमें कि सुमेलित टाइप, सत्य/असत्य, कथन—कारण प्रकार के (Multiple choice question, matching type, True/false, Assertion & Reasoning type) होंगे।
- दोनों प्रश्न—पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं रहेगा।

प्रश्न—पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
I	प्रथम प्रश्न—पत्र (अनिवार्य) सामान्य प्रश्न—पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude)	50	100	03 घण्टे (180 मिनिट)
II	चयनित ऐच्छिक विषय	100	200	
कुल अंक		150	300	

टीप-

1. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 कुल 20 विषयों में आयोजित की जा रही है जिसमें संबंधित विषय में उल्लेखित सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक/अध्ययनरत् अभ्यर्थी केवल एक विषय हेतु आवेदन कर सकेंगे ।
2. जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में (2024 से पूर्व) यू.जी.सी. (नेट), सी.एस.आई.आर. (नेट), मध्यप्रदेश स्लेट/सेट के जिस विषय में प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिए हैं वे पुनः उसी विषय में मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा— 2024, हेतु आवेदन न करें। ऐसा पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई/05 वर्षों तक आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाएगा।
3. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 हेतु प्रवेश—पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। पात्रता परीक्षा के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन—पत्र निरस्त किया जाएगा, यदि वह राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 में अर्ह भी पाया जाता है तो असत्य जानकारी पाई जाने पर अर्हता प्रमाण—पत्र से वंचित किया जाएगा ।
4. राज्य पात्रता परीक्षा — 2024 में Chemical Science, Life Science, Mathematical Science, Physical Science, विषय के परीक्षा प्रारूप भी यू.जी.सी. नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा। सी.एस.आई.आर. के निर्देशानुसार Mathematical Science के पाठ्यक्रम में 4 इकाई हैं जो गणित एवं सांख्यिकी के अभ्यर्थी के लिए इकाई अनुसार विभाजित हैं । इकाई प्रथम गणित और सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है और इकाई द्वितीय व तृतीय गणित विषय तथा इकाई चतुर्थ सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी।
5. प्रश्न—पत्र हल करते समय दिव्यांगजन के सह—लेखक की योग्यता स्नातक अथवा उससे कम होनी चाहिए। सह—लेखक लेने की स्थिति में 60 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सह—लेखक की पात्रता होगी, इस हेतु अभ्यर्थी सहलेखक की अनुमति हेतु केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर तथा घोषणा—पत्र भरकर अनुमति प्राप्त करें।

11. अंकन योजना

1. अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सभी वर्गों/वर्गों की श्रेणीवार गुणानुक्रम सूची में अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के प्राप्तांक (Cut off) के समान अंक पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भी अर्ह सूची में शामिल किया जाएगा।
2. प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 (दो) अंक होंगे।
3. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 02 (दो) अंक प्राप्त होंगे।
4. ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना है।
6. किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
7. एकाधिक उत्तर वाले प्रश्नों की स्थिति में उन अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किया जाएगा जिन्होंने किसी भी सही उत्तर को चयन किया है।
8. अगर किसी प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को दो अंक (02) प्रदान किए जाएँगे। चूंकि किसी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है अतः अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

12. परीक्षा पत्र का माध्यम

1. प्रश्न—पत्र हिन्दी और अंगोजी दोनों माध्यम में होगा ।
2. भाषा विषय का प्रश्न—पत्र संबंधित भाषा में होगा ।
3. प्रश्न—पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिन्दी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी ।

13. सावधानियाँ

1. परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें ।
2. त्रुटि सुधार की अवधि में विंडो बंद होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. अभ्यर्थी आवेदन—पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें ।
4. ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरते समय अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन—पत्र की प्रत्येक जानकारी सोच—समझकर, सावधानी पूर्वक एवं सही रूप में भरें ।
5. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज फोटो नाम सहित हस्ताक्षर युक्त स्कैन फाइलों तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न (अपलोड) करें । आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन—पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं ।
6. राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएँगे ।
7. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत किया जाने वाला ईमेल पता और मोबाइल नंबर उनका स्वयं का हो ।
8. यदि आवेदन भरने के सभी चरण पूरे नहीं किए गए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति अधूरी रहेगी । ऐसे फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
9. उम्मीदवार द्वारा एक बार शुल्क जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापसी के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।
10. त्रुटि सुधार के अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसे ठीक से जाँच लें ।
11. सभी अभ्यर्थी प्रवेश—पत्र में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें ।

14. कानूनी क्षेत्राधिकार

राज्य पात्रता परीक्षा – 2024 के आयोजन से संबंधित सभी विवाद, परिणाम सहित परीक्षाएँ केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएँगी । इसके अलावा परीक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा, जब परिणाम की घोषणा से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

15. आवेदन पत्र कैसे भरें

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
 1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
 2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
 - अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्लिक्ट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
 3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
 4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्कैन फाइल लैंगर रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय **Upload** करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
- फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
 1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
 2. फोटो खींचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कंसरे में देखें।
 3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिलेक्शन न हो तथा आपकी ओँखे स्पष्टतः दिख रही हों।
 4. टोपी हेट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढूँकना चाहिए।
 5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का दैक्यांडे हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
 6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
 5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की पत्तेक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही भाव्य होंगे।
 6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
 7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र **Submit** करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक अलीओप्टि पढ़ एवं समझकर तथा अरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन **Submit** करें।
 8. आवेदन-पत्र **Submit** करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, भाजा-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग यादि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिषिक्त होने पर अभ्यर्थी **Cancel** बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में **OK** बटन दबाकर फार्म सवार्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह **Unpaid** होगा। अभ्यर्थी रखें कि आवेदन-पत्र **Submit** होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा अविष्य में आयोग से किए जाने वाले पर व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा भानें।

टीप :—

आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार व्यवस्था ओ.टी.पी. आधारित होगी ।

16. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सूची की जाँच करें

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है—

1. वे पात्रता की शर्तें शीर्षक के तहत निर्धारित परीक्षण के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
2. उन्होंने अपना लिंग और श्रेणी अर्थात् सामान्य/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/एस.सी./एस.टी./सामान्य-ई.डब्ल्यू.एस./पुरुष/महिला/तीसरा लिंग, संबंधित कॉलम में सही ढंग से भरा है।
3. उन्होंने संबंधित कॉलम में अपना विषय और परीक्षा का शहर सही ढंग से भरा है।
4. दिव्यांगजन उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम भरा है। केवल दिव्यांगजन उम्मीदवारों को ही यह कॉलम भरना होगा और अन्य को इसे खाली छोड़ना होगा।
5. उन्होंने अपने आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और डाक पता, पिनकोड के साथ ठीक से भरा है।
6. उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र (पुष्टि पृष्ठ) का प्रिंटआउट रखा है।

17. ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा। अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग अभ्यर्थी को परीक्षा देते समय नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए।

1. अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काली स्याही वाला बॉल पेन अवश्य लाए।
2. गोले भरे के लिए केवल काली स्याही वाला बॉल पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें। अधूरा, अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट अत्यंत सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा ऑप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
4. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न-पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न-पत्र सेट A/B/C/D अंकन न करने पर ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को अत्यन्त ध्यान पूर्वक अंतिम निर्णय के पश्चात् ही प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने उत्तर का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेंसिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
7. अभ्यर्थी परीक्षा देते समय प्रश्नों के उत्तर ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश ध्यान से पढ़ें।

8. ओ.एम.आर. शीट में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/व्हाइटनर लगाने से उत्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
9. ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न-पत्र कोड आदि भरने के लिये बने खाने में प्रविष्टि के लिए काली स्थाही वाला बॉल पेन का उपयोग करें। प्रश्न-पत्र A/B/C/D सेट में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का ही कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरे एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।
10. ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर काले स्थाही वाले बॉल पेन से हस्ताक्षर करें।
11. रोल नम्बर की प्रविष्टि दिये गये निर्देश अनुसार करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर ओ.एम.आर. का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
12. परीक्षार्थी को प्रत्येक सत्र के बाद उत्तरपुस्तिका वीक्षक को सौंपने के पश्चात् एवं वीक्षक के निर्देश के पश्चात् ही कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी।
13. एक बार O.M.R. में उत्तर दिए जाने के पश्चात् कोई भी परिवर्तन अधिमान्य नहीं होगा।

18. राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 के 20 विषय एवं उनके स्नातकोत्तर उपाधि, मुख्य विषयों/सह-विषयों की सूची

राज्य पात्रता परीक्षा — 2024 के लिए प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) :— सामान्य प्रश्नपत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा।

नोट— यूजी.सी. नेट व सी.एस.आई.आर. नेट के विषयान्तर्गत म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1093 / 104 / सी.सी. / 38, दिनांक 23.12.2022 के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा के विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन से अनुमोदित है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 की परीक्षा में 20 विषयों के स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची निम्नानुसार है :—

S.No.	प्रश्न-पत्र	विषय कोड
	अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र General Paper on Teaching & Research Aptitude सामान्य प्रश्न-पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृति	01
	ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र स्नातकोत्तर स्तर के विषय	
1	Chemical Sciences (रसायन विज्ञान) Chemistry (रसायन शास्त्र) Organic Chemistry (कार्बनिक रसायन शास्त्र) Physical Chemistry (भौतिक रसायन शास्त्र) Applied Chemistry (व्यवहारिक रसायन शास्त्र) Environment Chemistry (पर्यावरण रसायन शास्त्र) Pharmaceutical Chemistry (फार्मास्युटिकल रसायन शास्त्र) Inorganic Chemistry (अकार्बनिक रसायन शास्त्र) Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन शास्त्र) Analytical Chemistry (विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र)	02

2	Commerce (वाणिज्य)	Commerce (वाणिज्य)	03
3	Economics (अर्थशास्त्र)	Economics (अर्थशास्त्र) Master of Business Economics (एम.बी.ई.) Applied Economics (व्यवहारिक अर्थशास्त्र) (MBA Business Economics) (एम.बी.ए. व्यवसायिक अर्थशास्त्र)	04
4	English (अंग्रेजी)	English (अंग्रेजी)	05
5	Geography (भूगोल)	Geography (भूगोल)	06
6	Hindi (हिन्दी)	Hindi (हिन्दी) Linguistics (भाषा विज्ञान)	07
7	History (इतिहास)	History (इतिहास) Modern History (आधुनिक इतिहास) Medieval History (मध्यकालीन इतिहास) Ancient History (प्राचीन इतिहास)	08
8	Home science (गृह विज्ञान)	Home science (गृह विज्ञान)	09
9	Law (विधि)	Law (विधि)	10
10	Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	Library Science (पुस्तकालय विज्ञान) Library and Inforamation Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	11
11	Life Sciences (जीव विज्ञान)	Botany (वनस्पति शास्त्र) Zoology (प्राणी शास्त्र) Bio Chemistry (जीव रसायन) Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) Bitechnology (जीव प्रौद्योगिकी) Bio Science (जीव विज्ञान) Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान) Bioinformatic science (बायो इंफरमेटिक्स साइंस) Fisheries (मत्स्य विज्ञान) Aquaculture (मत्स्य पालन) Limnology (सरोवर विज्ञान) Entomology (कीट विज्ञान) Genetics (अनुवांशिकी) Genetic Engineering (अनुवांशिकी यांत्रिकी) Life Science (जीव विज्ञान) Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) Seed Technoogy (बीज तकनीकी)	12

12	Mathematical Sciences (गणितीय विज्ञान)	Mathematics (गणित) Computational Mathematics (संगणन गणित) Applied Mathematics (व्यावहारिक गणित) Industrial Mathematics (औद्योगिक गणित) Mathematical Science (गणितीय विज्ञान) Statistics (सांख्यिकी)	13
13	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	14
14	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	15
15	Physical Sciences (भौतिक विज्ञान)	Physics (भौतिकी) Applied Physics (व्यावहारिक भौतिकी) Material Science (पदार्थ विज्ञान) Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)	16
16	Political science (राजनीति विज्ञान)	Political Science (राजनीति विज्ञान) Public Administration (लोक प्रशासन) International Relation (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	17
17	Psychology (मनोविज्ञान)	Psychology (मनोविज्ञान) Clinical Psychology (चिकित्सीय मनोविज्ञान) Applied Psychology (व्यवहारिक मनोविज्ञान)	18
18	Sanskrit (संस्कृत)	Sanskrit (संस्कृत)	19
19	Sociology (समाज शास्त्र)	Sociology (समाज शास्त्र) Anthropology (मानव शास्त्र) Social Work (सामाजिक कार्य)	20
20	Yoga (योग)	Yoga (योग)	21

19. मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची

Sr.NO	POST GRADUATE DEGREE
1	Master of Commerce (M.Com.)
2	Master of Library Science (M.Lib.Sc)
3	Master of Literature (M.Litt.)
4	Master Of Science (M.Sc.)
5	Master of Statistics (M.Stat.)
6	Master of Arts (M.A.)
7	Master of Physical Education (M.P.Ed.)
8	Master of Physical Education & Sports Science (MPES)
9	Integrated BS-MS
10	Master of Law (LLM)



20. परीक्षा के संबंध में निर्देश एवं जानकारियाँ

परीक्षा पूर्व निर्देश—प्रवेश—पत्र प्राप्ति प्रक्रिया

1. परीक्षार्थी अपना प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in निर्धारित लिंक पर आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन परीक्षा के 10 दिन पूर्व से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी के प्रवेश—पत्र पर परीक्षा की तिथि एवं समय अंकित होगा।
2. प्रवेश—पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक गुम हो गया है तो वे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध Important links या M.P. Online पर उपलब्ध know Your Application Number के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश पत्र (ऑनलाइन एडमिट कार्ड) तैयार किया जाएगा।
5. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट प्राप्त करना होगा।
6. परीक्षा के दिन उम्मीदवार को एडमिट कार्ड और इनमें से कोई एक पहचान पत्र साथ लाना है:-
 1. पासपोर्ट
 2. भत्तदाता पहचान—पत्र
 3. ड्रायविंग लायसेंस
 4. पैन कार्ड
 5. आधार कार्ड
 6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय—पत्र
 7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
 8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा नवीनतम या अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक जारी परिचय—पत्र
 9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय—पत्र।

21. परीक्षा केंद्र में प्रवेश से सम्बंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

1. आवेदक यदि अपने प्रवेश—पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है या छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गए विकल्प शहर के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नंबर प्रदाय किए जाएंगे।
3. दिव्यांगजन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं –
 - i. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरेब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
 - ii. मानसिक रूप से स्पेस्टिक डाइसलेक्सिक पर्सनस विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
4. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
5. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हों और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
6. उपर्युक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य परीक्षार्थियों को सह—लेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

7. उक्त श्रेणी के केवल ऐसे दिव्यांगजन को ही अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो सह-लेखक का उपयोग करेंगे।
8. आयोग द्वारा सह-लेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और न ही सह-लेखक को किसी भी प्रकार का मानदेय/यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा एवं परीक्षार्थी को उसके सहलेखक का मूलफोटो युक्त मान्य परिचय—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. सहलेखक की सुविधा की अनुमति केन्द्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी, इस हेतु परीक्षार्थी परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व ही केन्द्राध्यक्ष से संपर्क करें।

22. दिव्यांगजन के सह-लेखक हेतु मान्य परिचय पत्र की सूची

आयोग द्वारा निम्न फोटो—आई.डी. कार्ड (पहचान पत्र) मान्य किए गए हैं, इनमें से किसी एक की मूल प्रति अभ्यर्थी को साथ में लाना आवश्यक होगा। इनकी फोटोकॉपी मान्य नहीं की जाएगी।

1. पासपोर्ट
2. मतदाता पहचान—पत्र
3. झायविंग लायसेंस
4. पैन कार्ड
5. आधार कार्ड
6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय—पत्र
7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा नवीनतम या अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक जारी परिचय—पत्र
9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय—पत्र

23. दिव्यांगजन सह-लेखकों का घोषणा—पत्र

मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि अभ्यर्थी अनुक्रमांक के सह लेखक के रूप में सेट-2024 की परीक्षा में सह-लेखक कार्य के लिए परीक्षा तिथि को उपरिथत हूँ मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक/स्नाकोत्तर से कम है। मैं वर्तमान में कक्षा का/की विद्यार्थी हूँ। मैं अपनी अंतिम अंक सूची अभ्यर्थी को दे चुका/चुकी हूँ जिसे उन्होंने परीक्षा केन्द्र में जमा करा दिया गया है। मैं परीक्षा कक्ष के अनुशासनात्मक सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

24. परीक्षा के पूर्व व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके। इस प्रक्रिया में समय लगता है, अतः परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना चाहिए। परीक्षार्थी को परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने के पश्चात परीक्षार्थी के मूल फोटो का परिचय—पत्र, प्रवेश—पत्र एवं फोटो की जांच प्रवेश—पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जाएगा।
3. परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएँ अन्दर न ले जा सके।
4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर अपने साथ केवल निम्नलिखित चीजें लेकर जाएं —

आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्व-घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) के साथ विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र (ए4 आकार के पेपर पर एक स्पष्ट प्रिंटआउट)। काली स्याही वाला बॉल प्वाइंट पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, आईडी प्रमाण आदि एवं यदि उम्मीदवार मधुमेह रोगी है तो चीनी की गोलियाँ/फल इत्यादि साथ रखें।

25. अनुचित साधन व्यवहार और परीक्षा नियमों का उल्लंघन

अनुचित साधन अभ्यास एक ऐसी गतिविधि है जो एक उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है, लेकिन यह यहाँ तक सीमित नहीं है।

1. किसी भी ऐसी वस्तु या वस्तु के कब्जे में होना जो निषिद्ध है या जिसका उपयोग अनुचित व्यवहार के लिए किया जा सकता है, जिसमें कोई स्टेशनरी वस्तु, संचार उपकरण, सहायक उपकरण, खाने योग्य वस्तुएं, आभूषण या कोई अन्य सामग्री या जानकारी शामिल है।
2. परीक्षा लिखने (प्रतिरूपण) या नकल के लिए सामग्री तैयार करने के लिए किसी का उपयोग करना।
3. परीक्षा के संबंध में परीक्षा नियमों या जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन।
4. अन्य उम्मीदवारों को कदाचार में शामिल होने में सहायता करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना।
5. उत्तर लिखने के लिए केंद्र अधीक्षक द्वारा दी गई किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना।
6. परीक्षा केंद्र में परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा स्टॉफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या संचार करना या ऐसा करने का प्रयास करना।
7. परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी को धमकी देना या किसी भी उम्मीदवार को धमकी देना।
8. परीक्षा के संबंध में किसी अन्य अवांछनीय पद्धति या साधन का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।
9. ऑनलाइन दस्तावेजों में हेरफेर और निर्माण। (प्रवेश पत्र, स्व-घोषणा पत्र, आदि) परीक्षा केंद्र/हॉल में जबरन प्रवेश/बाहर निकलना।
10. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।
11. आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र/प्रोफॉर्मा पर गलत/रूपांतरित फोटो/हस्ताक्षर लगाना/अपलोड करना।
12. परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन में बाधाएँ पैदा करना।
13. आयोग द्वारा अनुचित साधन के रूप में घोषित कोई अन्य कदाचार।

26. प्रश्न-पत्र के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रण

प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुँजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएँगी। इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/- रुपए (Non Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :—

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर—कुँजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर—कुँजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, को विषय—विशेषज्ञों की अनुशंसा उपरान्त सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्न—पत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर—कुँजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर—कुँजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र—व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय—विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपरिथित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए, जारी की गई अंतिम उत्तर—कुँजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

27. विशेष

सभी नियुक्त प्राधिकारी को अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करते समय उम्मीदवार के मूल अभिलेखों/प्रमाण—पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कर लेना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी के लिए राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्डौर उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवारों को म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित राज्य पात्रता परीक्षा— 2024 हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा।

28. हेल्पलाइन

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हेतु आयोग के हेल्पलाइन 0731— 2701086 पर कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक (अवकाश दिवसों को छोड़कर) सम्पर्क कर सकते हैं।



29. राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम

निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोग के पोर्टल पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा—

M.P. State Eligibility Test (Set)-2024, Syllabus As Per U.G.C. & C.S.I.R. Guidelines

S.No.	Name of Subject	Subject Code	Syllabus Available in	Syllabus Available in
01	अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र General Paper on Teaching & Research Aptitude ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र	01	English	Hindi
2	Chemical Sciences	02	English	
3	Commerce	03	English	Hindi
4	Economics	04	English	Hindi
5	English	05	English	
6	Geography	06	English	Hindi
7	Hindi	07	-	Hindi
8	History	08	English	Hindi
9	Home Science	09	English	Hindi
10	Law	10	English	Hindi
11	Library & Information Science	11	English	Hindi
12	Life Science	12	English	
13	Mathematical Sciences	13	English	
14	Philosophy	14	English	Hindi
15	Physical Education	15	English	Hindi
16	Physical Science	16	English	
17	Political Science	17	English	Hindi
18	Psychology	18	English	Hindi
19	Sanskrit	19	-	Hindi
20	Sociology	20	English	Hindi
21	Yoga	21	English	Hindi

परीक्षा नियंत्रक

राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर